# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

GCMS NO. - 2014/00299
मिसल संख्या 210/2014

1. सूरजमल आत्मज गोपाल मृतक जर्ये कायम मुकाम–
   1/1 द्वारका बाई पत्नी सूरजमल
   1/2 भगवती देवी पुत्री सूरजमल
   1/3 रेखा पुत्री सूरजमल
   1/4 मिथलेस पुत्री सूरजमल
   1/5 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल
   जाति मेघवाल निवासीगण सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा

...........वादीगण

**बनाम**

1. राम प्रसाद आत्मज गोपाल मृतक जर्ये कायम मुकाम–
   1/1 कैलाश बाई पत्नी
   1/2 मंजूलता पुत्री राम प्रसाद
   1/3 राजेष कुमार पुत्र राम प्रसाद
   1/4 सोनिया पुत्री राम प्रसाद
   1/5 हेमलता पुत्री राम प्रसाद
   जाति मेघवाल निवासीगण सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

...........प्रतिवादीगण

**–: निर्णय :–**

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 30/4/26

उपस्थित–
1.श्री जितेन्द्र नामा, श्री रामबाबू मालव अभिभाषक वादीगण
2.श्री लोकेश कुमार सैनी अभिभाषक प्रतिवादी नं0 1

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

वादीगण ने वाद वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 289 की रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जिसके कि नये नम्बर खसरा नम्बर 281 रकबा 0.67 हैक्टर कायम किये गये वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वाके है। जिसे वादी ने दिनांक 17.6.1986 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय

उपखण्ड अधिकारी

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587


पत्र प्रतिवादी क्रम 1 के पिता एवम् आराजी के रिकोर्डेड खातेदार गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान से 16,750/– रूपये अक्षरे सोलह हजार सात सौ पचास रूपये में खरीद की थी ओर विवादित आराजी पर खरीद की तिथी से ही वादी का कब्जा वर्तमान तक मुतवातिर है। वादी को विक्रेता ने विवादित आराजी का सम्पूर्ण रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया था। ऐसे में पूर्ववर्ती खसरा नम्बर 289 जिसके कि नये नम्बर 281 कायम हुये कि भूमि में विक्रेता यानि की प्रतिवादी क्रम 1 के पिता का विवादित भूमि के विक्रय के बाद कोई रकबा शेष नही रह गया।

प्रतिवादी क्रम 1 का कहना कि जो विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता ने वादी को बेचान की थी उसमें से 0.13 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते रिकोर्ड में खसरा नम्बर 281 रकबा 0. 13 हैक्टर के रूप में दर्ज है ओर वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 के पिता से खरीद की गयी आराजी खसरा नम्बर 281/1 रकबा 0.54 हैक्टर के रूप में दर्ज है, इसलिये वादी प्रतिवादी क्रम 1 को तथाकथित खसरा नम्बर 281 की भूगि रकबा 0.13 हैक्टर का कब्जा सम्भलाये। जबकि प्रतिवादी क्रम 1 के पिता ने उक्त सम्पूर्ण आराजी का बेचान दादी को किया था ऐसे में जब बेचान के बाद प्रतिवादी क्रम 1 के पिता के नाम खसरा नम्बर पुराने में कोई रकबा शेष रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तो बेची गयी भूमि का शेष रकबा प्रतिवादी क्रम 1 के नाम रिकोर्ड में दर्ज होना भू प्रबन्ध विभाग की तकनीकी भूल है। जिसे दुरूस्त किया जाना है।

दिनांक 25.6.14 को प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त वर्णित जानकारी हस्तगत होने के बाद वादी ने दिनांक 25.6.14 से आज तक कई मर्तबा रेवेन्यू अधिकारियो से निवेदन कर सेटलमेन्ट द्वारा की गयी उक्त वर्णित त्रुटि को दुरूस्त करने के लिये निवेदन किया। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने इस वाद को माननीय न्यायालय में पेश किये जाने को कहा। उक्त वर्णित वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है ताकि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी तकनीकी त्रुटि को दुरुस्त करवाया जा सके तथा प्रतिवादीगण, वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में किसी तरह की कोई मदाखलत एवम् मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियो या ऐजेन्टो से करावे ऐसा व्यवधान उत्पन्न करावे।

अतः वादीगण ने दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी के पक्ष में एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से सादर स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे :–

उपखण्ड अधिकारी

को

विवादित भूमि मे सैटलमेन्ट द्वारा की गयी तकनीकी त्रुटि को दुरूस्त कर प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में खोला गया खाता बाबत खसरा नम्बर 281 रकबा 0.13 हैक्टर डिलीट कर रकबा 0.13 हेक्टर वादी के खाते खसरा नम्बर 281/1 रकबा 0.54 हैक्टर में मर्ज विलय कर वादी का खाता खसरा नम्बर 281/1 का रकबा दुरूस्त कर 0.67 हैक्टर किया जावे। और तदनुसार वादी को रिकोर्डेड खातेदार बाबत खसरा नम्बर 281/1 रकबा 0.67 हैक्टर वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान घोषित किया जावे ।

प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वह वादी के स्वामित्व एवम् कब्जे काश्त की आराजी जिसका कि उल्लेख इस वाद पत्र की चरण संख्या 1 में है पर वादी के शान्तिमय कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो प्रतिवादी क्रम 1 स्वयं करे ओर न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियो या ऐजेन्टो से कराये।

**प्रतिवादी की ओर से निम्न जवाब दावा पेश किया गयाः–**

वादी द्वारा गलत तथ्यो एवं रिकोर्ड के विपरीत वाद पेश किया गया है जो निरस्तनीय है।

वादी का मानना है कि उसे 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है जिसके मात्र 0.54 है बनते है जो वादी के खाते 281/1 रकबा 0.54 है0 के रूप मे दर्ज किये जा चुका है। वादी को प्रतिवादी के पिता ने मात्र 0.54 है0 आराजी का बेचान किया जाकर कब्जा दिया गया है शेष भूमि रकबा 0.13 है आराजी उसके कब्जे काश्त मे शेष रही थी जो सही प्रकार से प्रतिवादी के नाम खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है के रूप मे दर्ज की गई है। जिस पर प्रतिवादी काबिज है उक्त आराजी से वादी का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। वादी प्रतिवाद से जो कि आराजी खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 का रिकोर्डेड खातेदार टेनेन्ट है से किसी प्रकार की कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नही है।

**तहसीलदार लाडपुरा की की रिपोर्ट अनुसार –**

ग्राम सोगरिया का खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 सूरजमल पुत्र गोपाल व खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 रामप्रसाद पुत्र गोपाल के नाम दर्ज रिकोर्ड है। पैमाईश अनुसार मौके पर खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 ही बनता है वर्तमान मे दर्ज खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 भूमि मौके पर उपलब्ध नही है। जिसका कारण निम्न प्रकार है–

(अ) मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा संख्या 281 रकबा 0.67 है0 गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से बना है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(ब) हाल खसरा संख्या का रकबा गलत दर्ज किया गया है क्योंकि 3 बीघा 7 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली मे रकबा 0.54 है बनता है। सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा 0.13 है0 गलत तरीके से बड़ा दिया गया है जिसे कम किया जाना अपेक्षित है।

प्रतिवादी रामप्रसाद पुत्र गोपाल द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 22.06.2017 को मूल वाद के साथा कन्सोलिडेट कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद निम्नानुसार हैः–

वादी के खाते की आराजी ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 स्थित है। जिस पर वादी बहैसियत मालिक टेनेन्ट काबिज है। वादी की आराजी के पास ही प्रतिवादी की आराजी खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 स्थित है।

प्रतिवादी आये दिन वादी की आराजी पर जबरन कब्जा करने की चेष्टा करता रहता है ताकत के बल पर वादी के खाते की कब्जे की खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.13 है0 करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी वादी को उक्त वर्णित आराजी पर किसी प्रकार ककी वादी के कब्जे मे बैजा मदाखलत एवं मजामत न करे। जबरन कब्जा करने की कोशिश न करे।

**प्रतिवादी की ओर से निम्न जवाब दावा प्रस्तुत किया गया–**

ग्राम सोगरिया तह0 लाडपुरा कोटा मे वादी के पिता गोपाल ने कब्जे काश्त व खातेदारी की अन्य आराजी के साथ खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 289/398 रकबा 15 बिस्वा आराजी हाल सेटलमेंट पूर्व मे स्थित थी। जिसे सेटलमेंट बाद 289 के नवीन खसरा संख्या 281 रकबा 0.67 है0 एवं खसरा सख्या 289/398 के नवीन खसरा संख्या 405 कायम किये

वादी के पिता से प्रतिवादी ने उक्त सम्पूर्ण आराजी क्रय की, किन्तु सेटलमेट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण– खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 कायम कर दिया अर्थात 3 बीघा 7 बिस्वा को हेक्टेयर मे बदलने पर 0.54 है0 ही होता है। 0.54 है0 रकबा ही प्रतिवादी के खातेदारी मे दर्ज है और इतना ही रकबा मौके पर है।

नया पुराना नक्शा ट्रेस देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वादी के त्रुटिपूर्ण रूप से रिकोर्ड मे दर्ज रकबा मौके पर नही है और ना नक्शा ट्रेस मे है। कारण कि खसरा संख्या 289 की भूमि के व खसरा संख्या 289/398 के बीच मे नहर है केवल मात्र सेटलमेंट की गलती से वादीके नाम दर्ज खसरा संख्या 281 की भूमि का नाजायज फायदा उठाने के ध्येय से वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया हैं

उपखण्ड अधिकारी
को[illegible]

प्रतिवादी द्वारा सेटलमेंट की त्रुटि मे वादी के नाम दर्ज रकबे को दुरूस्त करवाने की घोषणा खातेदारी का वाद इस न्यायालय मे पेश कर रहा है।

बाद जवाब दावा निम्न तनकी कायम की गई।

**1. आया प्रतिवादी के पिता से ग्राम सोगरिया स्थित खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा बाद सेटलमेंट नवीन खसरा सख्या 281 रकबा 067 है पर बाद खरीद से वादी खातेदार व कब्जा काश्त है ?– वादी**

**2. आया वादी द्वारा खरीदी की गई आराजी का मौके पर खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 0.54 है होने से सैटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से कायम खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 को प्रतिवादी के खाते से डिलीट कर वादी के खाते खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 मे विलय किया जावे ? – वादी**

**3. आया मौके पर खसरा सख्यां 281/1 रकबा 0.54 है0 भूमि ही है, खसरा सख्या 281 रकबा 0.13 है भूमि मौके पर नही है, सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त खसरा सख्या 281 रकबा 0.11 है0 को त्रुटि पूर्ण कायम किया गया है? –वादी**

**4. आया प्रतिवादी ग्राम सोगरिया स्थित खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 भूमि का खातेदारी है जिस पर काबिज काश्त है? – प्रतिवादी**

**5. सहायता**

तनकीयात कायम किये जाने के प्श्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी मांगीलाल पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल तथा ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श 1, प्रदर्श पीए 2 विक्रय पत्र की फोटोप्रति, प्रदर्श पी 3 मिलाना क्षेत्रफल, प्रदर्श पी 4 जमाबंदी, प्रदर्श पी 5 जमाबंदी, प्रदर्श पी 6 नामान्तरकरण, प्रदर्श पी 7 जमाबंदी, प्रदर्श पी 8 जमाबंदी, प्रदर्श पी 9 जमाबंदी, प्रदर्श पी 10 नक्शा सोगरिया, प्रदर्श पी 11 जमाबंदी, प्रदर्श पी 12 जमाबंदी, प्रदर्श पी 13 लीगल नोटिस दिनांक 17.05.2017 तथा प्रदर्श पी 14 रजि ए0डी0 की रशीद है।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया और ना ही दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस उभय पक्ष पर गम्भीरतपूर्वक मनन किया।

उक्त स्थितियों मे तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
को

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

**1. आया प्रतिवादी के पिता से ग्राम सोगरिया स्थित खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा बाद सेटलमेंट नवीन खसरा सख्या 281 रकबा 0.67 है पर बाद खरीद से वादी खातेदार व कब्जा काश्त है ?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

प्रदर्श पी 11 जमाबंदी संवत 2028—31 से प्रमाणित है कि भू प्रबंध से पूर्व खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा आराजी गोपाल वल्द रामचन्द्र मेघवाल के नाम दर्ज रिकोर्ड थी। उक्त तथ्य का प्रामणिकरण प्रदर्श पी 12 जमाबंदी संवत् 2024—27 से भी होता है।

प्रदर्श पी ए 2 विक्रय पत्र दिनांक 17.06.1986 से प्रमाणित है कि गोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र द्वारा खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का बेचान श्री सूरजमल पुत्र गोपाल जाति मेघवाल को किया गया था। उक्त विक्रय के आधार पर नामान्तकरण संख्या 155 दर्ज किया गया। जिस पर अंकित है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदार द्वारा खसरा नम्बर पुराना 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के वर्तमान नं0 281 का रकबा 0.67 है0 मे से 0.54 है0 क्रेता को बेचान किया गया। उक्त नामान्तकरण उपरांत क्रेता सूरजमल पुत्र गोपाल के नाम खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 आराजी खाते दर्ज हुई। जो प्रदर्श पी 7 जमाबंदी 2061—64 से प्रमाणित है।

पत्रावली मे संलग्न मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट होता है कि गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का नवीन नम्बर खसरा संख्या 281 रकबा 0.67 है बनाया गया है।

पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार— ग्राम सोगरिया का खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 सूरजमल पुत्र गोपाल व खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 रामप्रसाद पुत्र गोपाल के नाम दर्ज रिकोर्ड है। पैमाईश अनुसार मौके पर खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 ही बनता है वर्तमान मे दर्ज खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 भूमि मौके पर उपलब्ध नही है। जिसका कारण निम्न प्रकार है—

(अ) मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा संख्या 281 रकबा 0.67 है0 गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से बना है।

(ब) हाल खसरा संख्या का रकबा गलत दर्ज किया गया है क्योंकि 3 बीघा 7 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली मे रकबा 0.54 है बनता है। सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा 0.13 है0 गलत तरीके से बड़ा दिया गया है जिसे कम किया जाना अपेक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दौरान भू प्रबंध सेटलमेंट विभाग द्वारा गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का नवीन नम्बर 281 रकबा 0.67 है0 बनाया गया। तथा गत रकबे की तुलना मे नया रकबा 0.13 है0 बड़ा दिया गया। संलग्न विक्रय पत्र से यह प्रमाणित है कि मूल खातेदार गोपाल द्वारा अपने खाते की आराजी मे से गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का पूर्ण बेचान कर दिया गया था। लेकिन उक्त विक्रय का अमल बाद सेटलमेंट होने से 3 बीघा 7 बिस्वा अनुसार 0.54 है0 का अमल राजस्व रिकोर्ड मे किया गया। और 0.13 है0 आराजी पूर्व खातेदार के हिस्से मे बची रही। तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि उक्त आराजी मौके पर मौजूद नही है। तथा यह भी स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से तुलना करने पर कोई आराजी शेष भी नही रहती है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल खातेदार गोपाल द्वारा खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का पूर्ण बेचान कर दिया गया था तथा उक्त खसरे से बने नवीन खसरे 281 मे खातेदार गोपाल तथा उसके वारिसों के नाम कोई आराजी शेष नही रहती है।

तहसीलदार रिपोर्ट से यह भी प्रमाणित है कि खसरा संख्या 281/1 पर वादी सूरजमल पुत्र गोपाल काबिज काश्त है तथा यह भी प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के पिता द्वारा गत खसरा संख्या का पूर्ण बेचान कर दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा हस्तगत आराजी मे शेष नही रहता है। अतः तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से बहक वादी तय की जाती है।

**2. आया वादी द्वारा खरीदी की गई आराजी का मौके पर खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 0.54 है होने से सैटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से कायम खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 को प्रतिवादी के खाते से डिलीट कर वादी के खाते खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 मे विलय किया जावे ?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

तनकी संख्या 1 मे किये गये विवेचन से यह प्रमाणित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का नया नम्बर 281 बना कर 0.13 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया। प्रतिवादी के पिता द्वारा गत खसरा संख्या 289 का पूर्ण बेचान वादी के पक्ष मे कर दिया गया था। अतः नवीन खसरा संख्या 281 मे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा शेष नही रहता है। चूंकि दौरान भू प्रबंध सेटलमेंट विभाग द्वारा गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का नवीन नम्बर 281 रकबा 0.67 है0 बनाया गया। तथा गत रकबे की तुलना मे नया रकबा 0.13 है0 बड़ा दिया गया। वादी द्वारा गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा क्रय किया गया जिसका नवीन नम्बर 281 रकबा 0.67 है0 बनाया गया। संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
को

तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 मौके पर मौजूद नही है। मौके पर 0.54 है0 आराजी ही उपलब्ध है। अतः तनकी संख्या 2 आंशिक रूप से बहक वादी तय की जाती है।

**3. आया मौके पर खसरा सख्यां 281/1 रकबा 0.54 है0 भूमि ही है, खसरा सख्या 281 रकबा 0.13 है भूमि मौके पर नही है, सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त खसरा सख्या 281 रकबा 0.13 है0 को त्रुटि पूर्ण कायम किया गया है?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

तनकी नम्बर 1 मे किये गये विस्तृत विवेचन से प्रमाणित है कि गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा का नवीन नम्बर 281 रकबा 0.67 है0 बनाया गया तथा भू प्रबंधविभाग द्वारा दोराने सेटलमेंट 0.13 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया। संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 मौके पर मौजूद नही है। मौके पर 0.54 है0 आराजी ही उपलब्ध है। जो खसरा संख्या 281/1 की है तथा जिस पर वादी काबिज काश्त है। उक्त परिस्थिति मे यह प्रमाणित है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 त्रुटिपूर्ण ढंग से कायम किया गया है जो मौके पर मौजूद नही है। अतः तनकी नम्बर 3 बहक वादी तय की जाती है।

**4. आया प्रतिवादी ग्राम सोगरिया स्थित खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 भूमि का खातेदारी है जिस पर काबिज काश्त है?**

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।

पत्रावली मे संल्गन दस्तावेज तथा तहसीलदार रिपोर्ट सभी तथ्यों को स्पष्ट करती है। जिनका विवेचन तनकी नम्बर 1 मे कियागया है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार– ग्राम सोगरिया का खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 सूरजमल पुत्र गोपाल व खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 रामप्रसाद पुत्र गोपाल के नाम दर्ज रिकोर्ड है। पैमाईश अनुसार मौके पर खसरा संख्या 281/1 रकबा 0.54 है0 ही बनता है वर्तमान मे दर्ज खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 भूमि मौके पर उपलब्ध नही है। जिसका कारण निम्न प्रकार है–

(अ) मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा संख्या 281 रकबा 0.67 है0 गत खसरा संख्या 289 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा से बना है।

(ब) हाल खसरा संख्या का रकबा गलत दर्ज किया गया है क्योंकि 3 बीघा 7 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली मे रकबा 0.54 है बनता है। सेटलमेंट विभाग द्वारा रकबा 0.13 है0 गलत तरीके से बड़ा दिया गया है जिसे कम किया जाना अपेक्षित है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर का रकबा गलत दर्ज कियागया है। क्योकि 3 बीघा 7 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली मे 0.54 है0 ही बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट रकबा 0.13 है0 त्रुटिपूर्ण ढंग से बड़ा दिया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि वर्तमान रिकोर्ड मे दर्ज खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 भूमि मौके पर उपलब्ध नही है। इसके विपरीत प्रतिवादी ऐसी कोई साक्ष्या शहादत प्रस्तुत नही कर सका है जो उसके तथ्यों को प्रमाणित कर सके। अतः तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

**अनुतोष–** उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1, 2 आंशिक रूप से एवं तनकी नं0 3 बहक वादी तय की गई है। तथा तनकी संख्या 4 विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है। उक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा गत खसरा संख्या 289 का नवीन खसरा संख्या 281 बनाकर रकबा 0.13 है0 अनाधिकृत रूप से बढ़ाया गया है। अतः खसरा संख्या 281 रकबा 0.13 है0 को राजस्व रिकोर्ड से डिलीट करने का आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि गांव का रकबा समान बनाये रखने के लिए समीपवर्ती सिवायचक नम्बरों की जांच कर 0.13 है0 रकबा सिवायचक नम्बर मे बढ़ाया जावे।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा